तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज शैतानाराम बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार औसियां) सू.अ.अ. अपील संख्या 87 / 2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.06.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी शैतानाराम खिलेरी निवासी खिलेरियों की ढाणी भीयाड़िया तहसील लोहावट, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 18.03.2019 में उसके द्वारा (1) पंजीयन की धारा 41 की पालना किस प्रकार से करवाई जा रही है। इस धारा की पालना आदेश के रजिस्टर की नकल व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार औसियां) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार औसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार औसियां) से जरिये पत्रांक 358 दिनांक 30.05.19 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि अपीलकर्त्ता गुमानाराम का प्रार्थना पत्र इस कार्यालय को आदिनांक तक अप्राप्त है। चूंकि अपीलार्थी / प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकारी अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थना पत्र तहसीलदार औसियां को प्रेषित करना बताता है वो प्रार्थना पत्र तहसील औसियां में प्राप्त नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रही है अतः अपीलार्थी अब भी सूचना प्राप्त करने लिए गंभीर है तो पुनः निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रार्थना पत्र पेश करे। अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	